# दरगाह में चादरों पर रोक की याचिका पर सुनवाई, मामला 3 जनवरी तक स्थगित

**अजमेर, ( निसं )।** विश्व विख्यात सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य संवैधानिक पदों की ओर से चढ़ाई जाने वाली चादरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को समानांतर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को आगे सुनवाई करने के आदेश दिए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक स्थगित कर दी। ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में संकटमोचन शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका दाखिल की गई थी,जो सुनवाई के दौरान भी न्यायालय में मौजूद रहे। गुरुवार को अजमेर की मुंसिफ वेस्ट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती की ओर से अधिवक्ता हाजी फैयाज उल्ला ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत को बताया कि इस प्रकरण में उनकी पूर्व में दायर आवेदन अभी लंबित है।


**NAME CHANGE**

I RANJU DEVI is Wife of Army No. 15224765W Rank- NK (OFC) Name- PREM CHAND KUSHWAHA Serving in Indian Army That I have changed my Name in my Husband Army service record from RANJU DEVI to RANJU Vide Affidavit No. BZ922560 Before Court Nasirabad.

**NAME CHANGE**

I Army No. 15224765W Rank- NK(OFC) Name- PREM CHAND KUSHWAHA Serving in Indian Army I have changed my SON name in my Army service record SUSANTH TO SUSHANT KUMAR Vide Affidavit No. BZ 922561 Before Court Nasirabad

**NAME CHANGE**

I Army No. 15224765W Rank- NK(OFC) Name- PREM CHAND KUSHWAHA Serving in Indian Army I have changed my SON name in my Army service record ASHISH to ASHISH KUMAR Vide Affidavit No. BZ 922562 Before Court Nasirabad


# राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ

**अजमेर, ( निसं )।** राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुरुवार को जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत ब्लॉक अरांई के विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता रैली, पोस्टर, स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिताओं के साथ मिशन लाइफ प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

**स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियाँ आयोजित:** मिशन लाइफ अभियान के तहत नगर निगम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से विभिन्न स्वच्छता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। सावित्री स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध एवं वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

■ **मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत ब्लॉक अरांई के विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता रैली, पोस्टर, स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिताओं के साथ मिशन लाइफ प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए गए**

**इको-फ्रेंडली उर्स का आयोजन:** नगर निगम द्वारा जीरो वेस्ट एवं इको-फ्रेंडली 814वें उर्स की शुरुआत की गई। उर्स मेले के दौरान स्वच्छता जागरूकता हेतु एफएम रेडियो पर 27 दिसंबर तक विशेष प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही कपड़े के थैलों का वितरण, कचरे का पृथक्करण, जल संरक्षण एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए आमजन को प्रेरित किया गया।

**प्रभात फेरी का आयोजन:** मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु तोपदड़ा विद्यालय से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें 550 विद्यार्थियों एवं स्काउट-गाइड ने भाग लिया। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया।

**ई-वेस्ट एवं सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर प्रतियोगिताएं:** राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं नगर निगम द्वारा ई-वेस्ट एवं सॉलिड वेस्ट प्रबंधन विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा छात्राओं को कपड़े के थैले वितरित किए गए।

**सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम:** केकड़ी में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत पोस्टर विमोचन, शपथ ग्रहण एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया। उपस्थित नागरिकों को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट उपयोग तथा नशे में वाहन न चलाने की शपथ दिलाई गई। वाहन रैली के माध्यम से आमजन को सडक़ सुरक्षा का संदेश दिया गया।

**ग्रामीण समस्या समाधान शिविर आयोजित:** ग्रामीण समस्या समाधान शिविर-2025 के अंतर्गत लाम्बा मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वामित्व कार्ड, नामांतरण, सीमाज्ञान, फार्मर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सेवाएं एवं विभिन्न भूमि संबंधी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

# पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन

**अजमेर, ( निसं )।** राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत गुरुवार को तोपदड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पर्यावरण जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है।


**कार्यालय नगरपालिका मण्डल, परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन राज.**
E-mail – npparbatsar@gmail.com Phone No. 01589-270141

क्रमांकः-नपाप. / विकास शाखा / 2025-26 / 3105 दिनांकः- 16.12.2025

**ई-निविदा सूचना**

नगरपालिका परबतसर के द्वारा नियमानुसार सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 17.12.2025 का 16:00 बजे से है तथा शेष विवरण व निविदा षर्ते आदि सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
NIB NO : DLB2526A9168
UBN NO : DLB2526WSOB27418
राज.संवाद / सी / 25 / 16013 अधिशाषी अधिकारी

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**
क्रमांक : न.नि.अ/भवन/25-26/562 आपत्ति सूचना दिनांक-18/12/2025

के.डी. पैलेस जरिये डायरेक्टर/भागीदार 1. श्री कालूराम पुत्र श्री नेमीचन्द दायमा निवासी 101 जी-ब्लॉक पानी की टंकी के सामने वैशाली नगर अजमेर, 2. श्रीमती लक्ष्मी देवी दायमा पत्नी श्री कालूराम निवासी 101 जी ब्लॉक पानी की टंकी के सामने वैशाली नगर अजमेर, 3. श्रीमती पूनम चांवला पत्नी श्री जितेन्द्र चांवला निवासी 29 अजय हाऊसिंग सोसायटी जवाहरलाल की नाड़ी चन्दवरदाई नगर के पास अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति ए.एम.सी. नं. 136/19 पुराना 451/3 नया जो वाके लौंगिया रोड जय पैलेस होटल के पीछे देहली गेट के बाहर अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 223.88 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।
पूर्व - 15 फुट चौड़ा आम रास्ता; पश्चिम - इसी सम्पत्ति का शेष भाग
उत्तर - सम्पत्ति ए.एम.सी. नं. 468/3 448/3; दक्षिण - 15 फुट चौड़ा आम रास्ता
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय ग्राम पंचायत भोगादीत, पंचायत समिति अराई, अजमेर**
क्रमांक-ग्रा.प.भो/निर्माण/2025-26/62-63 सीमित निविदा सूचना दिनांक :15/12/25

पंचायत समिति अराई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत भोगादीत में कार्य का नाम 1. ग्राम पंचायत भोगादीत ग्राम भोगादीत के खेल मैदान में मिट्टी भराई मय समतलीकरण कार्य हेतु सिमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।
NIB NO- 1. ZAJ2526A1517
UBN NO- ZAJ2526WSRCO1609
प्रशासक, ग्राम पंचायत भोगादीत, पं. स.-अराँई (अजमेर) — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोगादीत, पं. स.-अराँई (अजमेर)


# महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का रजत जयंती समारोह कल

**अजमेर( निसं )।** डेढ़ सौ वर्ष पुरानी अग्रवाल पाठशाला सभा से संबद्ध अजमेर के प्रतिष्ठित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का रजत जयंती समारोह आगामी 20 दिसंबर 2025 को हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाएगा। यह भव्य समारोह अजमेर के जेएलएन मार्ग स्थित विद्यालय के सभा भवन में शाम 5 बजे आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।। विद्यालय की प्राचार्या मीना शर्मा ने मीडिया को जारी वक्तव्य में बताया कि वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।विद्यालय को वर्ष 2008 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता प्राप्त हुई। इसके बाद वाणिज्य, कला और विज्ञान-तीनों संकायों में विद्यालय ने उत्कृष्ट शैक्षिक परंपरा स्थापित की। यहां से शिक्षित विद्यार्थी देश-विदेश में उच्च शिक्षा, प्रशासन, उद्योग और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं।

■ **विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होंगे मुख्य अतिथि**

**जनवरी में होगी एल्युमिनाई मीट:** रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा जनवरी माह में पूर्व छात्र-छात्राओं का सम्मेलन (एल्युमिनाई मीट) आयोजित किया जाएगा। इसमें वर्ष 2008 से 2020 तक के लगभग 250 पूर्व विद्यार्थी देशभर से भाग लेंगे।


**NAME CHANGE**

I SUBBA LAL KUSHWAHA is Father of Army No. 15224765W Rank- NK(OFC) Name- PREM CHAND KUSHWAHA Serving in Indian Army I have changed my Name in my Son Army service record from SUBBA LAL KUSHWAHA to SUBALAL Vide Affidavit No. BZ922563 Before Court Nasirabad.


# चौधरी ने के केन्द्रीय मंत्री गडकरी व नायडू से की मुलाकात

नई दिल्ली / अजमेर, (निसं)। अजमेर के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने संसद भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू से अलग-अलग मुलाकात की। इन बैठकों में सडक़ कनेक्टिविटी और किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़े अहम बुनियादी ढांचा विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर दोनों मंत्रियों ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया।

■ **किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़े अहम बुनियादी ढांचा विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई**

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान भागीरथ चौधरी ने अजमेर-पुष्कर घाटी मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव और दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए वैकल्पिक टनल निर्माण अथवा सड़क चौड़ीकरण और चार लेन उन्नयन की मांग दोहराई। इसके साथ ही राजस्थान स्टेट हाईवे संख्या-2 (दौसा-दूदू-नागौर) को राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव भी रखा। मंत्री गडकरी ने इन दोनों प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

इसी क्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू से हुई मुलाकात में किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार और सुविधाओं के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री नायडू ने क्षेत्रीय दृष्टि से किशनगढ़ हवाई अड्डे के महत्व को स्वीकार करते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई और समन्वय का भरोसा दिलाया।

भागीरथ चौधरी ने कहा कि सडक़ और हवाई संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होते हैं। पुष्कर घाटी मार्ग, स्टेट हाईवे-2 और किशनगढ़ एयरपोर्ट से जुडे प्रस्तावों के साकार होने से अजमेर, पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख से अजमेर संसदीय क्षेत्र को शीघ्र ही आधुनिक और सुदृढ़ कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

# शहरी समस्या शिविर में अजमेर विकास प्राधिकरण ने जारी किए 126 पट्टे

**अजमेर ( निसं )।** राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 से 24 दिसंबर तक चलाए जा रहे शहरी समस्या समाधान शिविर में अजमेर विकास प्राधिकरण परिसर में लगाए गए शिविर में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आसानी से समस्याओं का समाधान होने से आमजन में उत्साह की लहर है।

आज लगभग 250 लोगों ने शहरी समस्या समाधान शिविर में अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उपस्थित हुए। 127 लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए, शिविर में उपस्थित प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आमजन की समस्याओं पर सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रूख अपनाते हुए समस्याओं का निराकरण किया।

**बड़ी योजनाओं के 65 आवासीय पट्टे:** कृषि भूमि पर बड़ी योजनाओं के 65 आवासीय पट्टे , प्राधिकरण योजनाओं में 14 पट्टे, बकाया लीज मुक्ति के 2 पट्टे, अवधि विस्तार के 7 प्रकरण, नाम हस्तांतरण के 34 प्रकरण एवं फ्री होल्ड के 3 प्रकरण निस्तारित किए गए। एक आवेदन नियमानुसार नहीं होने के कारण खारिज किया गया। प्राधिकरण की नयी आवासीय योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में आज 31 आवेदन प्राप्त हुए।

# सड़क पर बने गड्ढे से आये दिन हो रहे हादसे

**मसूदा, ( निसं )।** मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ ब्यावर से विजयनगर सड़क पर गड्ढा बना हुआ है जिस पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं । ग्रामीण कालू सेन,सुरेश साहू, सोनू शर्मा, महेंद्र प्रजापत, निलेश साहू,जीवराज गुर्जर आदि ने बताया की मुख्य बस स्टैंड के बिजयनगर सडक पर बीचों बीच एक मोबाइल टावर कम्पनी द्वारा सडक को खोद कर अपनी लाईन निकाली लेकिन उस वक्त इस गड्डे को नाममात्र सीमेंट डालकर इतिश्री कर ली ।

# वाहन पार्किंग व यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु लगेगा प्रशासनिक कैंप, चेन व बैरिकेड्स के निर्देश

**अजमेर ( निसं )।** ख्वाजा साहब के 814 वें सालाना उर्स के मद्देनजर दरगाह आने व जाने वाले जायरीन के वाहनों की पार्किंग और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा मोती कटला में प्रशासनिक कैम्प लगाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जायरीन को पैदल आवाजाही में बाधा न आए और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अतिक्रमण व अनियंत्रित वाहनों से जाम की स्थिति न बने। निर्देशों के अनुसार जायरीन की मदद और मौके पर समन्वय के लिए अंदरकोट पार्किंग और मोती कटला क्षेत्र में प्रशासनिक कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के जरिए सूचना, दिशा-निर्देशन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पार्किंग स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने और वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा कराने के लिए अतिरिक्त निगरानी रखने को कहा गया है।

■ **जायरीन को पैदल आवाजाही में बाधा न आए और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अतिक्रमण व अनियंत्रित वाहनों से जाम की स्थिति न बने**

**दरगाह के परिधि क्षेत्र में खींच जा रही पीली लाइन:** दरगाह जाने वाले मुख्य पैदल मार्ग धानमंडी से नला बाजारए दरगाह बाजार और अंदरकोट तक सडक़ किनारे जहां पीली लाइन लगना शेष है, वहां पीली लाइन खींचने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका मकसद यह है कि व्यापारी दुकान का सामान बाहर सडक़ पर न रखें और पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला रहे। पीली लाइन के बाहर सामान रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए मार्ग में दस-दस मीटर की दूरी पर चैन लगाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पैदल चलने वालों को एक निर्धारित लेन मिले और भीड़ का दबाव नियंत्रित रहे।

**नमाज के दौरान वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद:** नमाज के दिन जिन गलियों को बंद किया जाना है, वहां पहले से लोहे के एंगल लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे दुपहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। संबंधित गलियों में बैरिकेडिंग और टीन शेड के आकार प्रबंधन को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बंदोबस्त के दौरान किसी गली में अव्यवस्था न हो। इसके अलावा नए चिह्नित स्थानों पर बैरिकेड लगाए जाएंगे। ताकि उर्स के दौरान भीड़ और यातायात संचालन में किसी स्तर पर ढील न रहे।

# जेएलएन अस्पताल जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आज

**अजमेर ( निसं )।** राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को महिला सम्मेलन का जिला स्तरीय आयोजन जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने आयोजन को लेकर विभागवार जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश के अनुसार शुक्रवार को धौलपुर में महिला सम्मेलन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।

# शिकायतें बेअसर, खतरा बरकरार: राजोसी रोड़ अंडरब्रिज बना हादसों का केंद्र

**नसीराबाद, ( निसं )।** नसीराबाद क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजोसी रोड का रेलवे अंडरब्रिज अब सड़क नहीं, बल्कि पानी से भरा खतरनाक जाल बन चुका है। दिन-रात जमा रहने वाला गंदा पानी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर रहा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद कभी-कभार पानी निकाला जाता है, लेकिन यह राहत केवल कुछ घंटों तक ही सीमित रहती है और अंडरब्रिज पुनः लबालब भर जाता है। यह अंडरब्रिज राजोसी गांव का मुख्य और अत्यंत व्यस्त मार्ग है। इसी रास्ते से राजकीय आईटीआई कॉलेज जुड़ा हुआ है, जहां लगभग 200 से 250 छात्र-छात्राएं और स्टाफ प्रतिदिन दोपहिया व चारपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं।

जलभराव के कारण वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों को पानी में उतरकर वाहन धकेलने पड़ते हैं। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और किसी बड़े हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के साथ-साथ सामान्य दिनों में भी अंडरब्रिज में 50 से 100 सेंटीमीटर तक पानी भर जाता है।

पानी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे फिसलन और वाहन पलटने की घटनाएं हो रही हैं। रात्रि के समय हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब अंधेरे में पानी की गहराई का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। ग्रामीणों, विद्यार्थियों और कॉलेज स्टाफ ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिदिन कम से कम चार से पांच बार नियमित रूप से पानी निकासी की व्यवस्था की जाए तथा इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो यह अंडरब्रिज किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है।


LSG/BEAW AR/MUT/164391
D ATE :- 12.12.2025 रजि. हक-परित्याग

**कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर**
क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/10308 दिनांक -18-12-25

**सार्वजनिक सूचना**

श्री निलेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री स्व. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. सुराणा नगर नरसिंहपुरा खसरा नं. 352 प्लाट नं. 41 क्षेत्रफल 355.55 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर नगरीय विकास कर रिकार्ड में श्री सत्यप्रकाश जी पुत्र श्री चांदमल जी के नाम दर्ज है। रजि हक-परित्याग दिनांक 6.12.2025 व स्वंय घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नही होगी।
-आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

**कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर**
क्रमांक: 69 ए/2025-26/10327 आम सूचना दिनांक-18/12/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री समुन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी लोकाशाह नगर, ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित जायदाद आबादी मौहल्ला महावीर बाजार मेवाड़ी बाजार रोड, पुराना शफाखाना के पास, प्राचीन म्यु. नं. 2/570, ब्यावर क्षेत्रफल 45.29 वर्गमीटर का वाणिज्यिक पट्टा लेने बाबत् आवेदन किया है। अतः उपरोक्त को वाणिज्यिक पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य 07 दिवस के अंदर-अंदर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

**FORM R.S. 5.22**
Notes of Public information [See Rule 5.37(2)]
This Case of Permit Holder
**NOTICE**

The permit holder Shri Anil Kumar S/O Kailash Chand has expired on 21/09/24 having permit No. 4585 to ply vehicle as Poonam wife of Shri Anil Kumar is the person succeeding to the possession of vehicle No. RJ01-PA-3917 covered by the above permit and intend to use the above permit, and to gerine permit/Vehicle transprt in my name. Any person having any objection for the transfer of the permit in my name may file his objection in the office of the State/Regional Transport Authority within 30 days of publication of this notice in news paper.
Date.................... Poonam Verma

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**
क्रमांक : न.नि.अ/भवन/25-26/भवन/556 आपत्ति सूचना दिनांक-16/12/2025

श्री संतोष मोतीरमानी पुत्र स्व. श्री टिकूमल निवासी 8/95 पीर मीठा गली अजमेर द्वारा एक समपति जिसका ए.एम.सी. नं. 1/434 पुराना ।।/174 नया जो वाके पीर मीठा गली अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 79.23 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।
पूर्व- रास्ता आम; उत्तर - रास्ता आम
पश्चिम- सम्पति ए.एम.सी.नं. 1/435; दक्षिण- सम्पति ए.एम.सी नं. 1/434 व 435 का भाग
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**
क्रमांक : न.नि.अ/भवन/25-26/564 आपत्ति सूचना दिनांक-18/12/2025

श्री पवन कुमार जैन पुत्र स्व. श्री गोविन्द जैन, निवासी 241/24, बाजे वाली गली, केसरगंज अजमेर जिसका निजी भूखण्ड संख्या 26(छब्बीस) है थोक मालियान थर्ड के खसरा नम्बर 8140 का भाग है जो वाके बंशीवाला रोलिंग मिल के पास, मुकुन्द गार्डन कॉलोनी, अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 303.12 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।
पूर्व - भूखण्ड संख्या 27; पश्चिम - 25 फुट चौड़ी सड़क
उत्तर - 20 फुट चौड़ी सड़क; दक्षिण - भूखण्ड संख्या 10(शेष भाग खसरा नम्बर 8140 का)
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**
क्रमांक : न.नि.अ/भवन/25-26/567 आपत्ति सूचना दिनांक-18/12/2025

श्री सतीश जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन निवासी हवाई अड्ड रोड, नीमच(म.प्र.) हाल निवासी इन्दिरा नगर डबल फाटक के पास नाका मदार अजमेर द्वारा एक भूखण्ड थोक मालियान तृतीय के खसरा नम्बर 8140 व 8164 का भाग है जिसका निजी भूखण्ड संख्या 27(सताईस) है जो वाके बंशीवाला रोलिंग मिल के पास मुकुन्द गार्डन कॉलोनी, अजमेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 301.58 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।
पूर्व - भूखण्ड संख्या 28; पश्चिम - भूखण्ड संख्या 26
उत्तर - 20 फुट चौड़ी सड़क; दक्षिण - भूखण्ड संख्या 09
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान**
क्रमांकः न.प.कि/भूमि/2025/9783 आम सूचना दिनांकः 17/12/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती इन्द्रा वैष्णव पत्नी श्री बंशी दास निवसीः पारखों की हवेली, पुरानी कोतवाली, पुराना शहर, किशनगढ़ ने 69क के तहत् पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि पारखों की हवेली, पुरानी कोतवाली, पुराना शहर, किशनगढ़ स्थित भूखण्ड/परिसर कुल क्षेत्रफल 456.97 वर्गगज है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से है।
› पूर्व में नाथु लाल जी व प्रकाश चन्द जैन का मकान › पश्चिम में टिकम चन्द सिंधी का मकान
› उत्तर में गिरीराज जी सोनी व केदार जी शर्मा का मकान › दक्षिण में आम रास्ता
उक्त सीमा मध्य स्थित 69क के तहत् पट्टा जारी किये जाने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करे बाद -मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नही होगा। अतः सूचित रहे। - प्रभारी अधिकारी नगर परिषद, किशनगढ

**कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान**
क्रमांकः न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/5487 आम सूचना दिनांकः 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज खसरा 268 भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

| क्र. सं. | प्रार्थी का नाम | राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल | प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अजहरुदीन पुत्र श्री मोहम्मद सलीम निवासी सोनगरा का जाव मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर | मदनगंज खसरा 268 83.33 वर्गगज | आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु |

आयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर**
क्रमांक : 1767 जाहिर आम सूचना दिनांक: 11-12-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4-ज-17, आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री प्रेमचन्द टांक पुत्र श्री शुभकरण टांक को आवंटित कर दिनांक 09.11.1983 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री प्रेमचन्द टांक पुत्र श्री शुभकरण टांक द्वारा दिनांक 28.5.1990 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। पंजीयन पश्चात श्री प्रेमचन्द टांक पुत्र श्री शुभकरण टांक द्वारा आवास का बैचान सुश्री शिवानी टिक्यानी पुत्री श्री रामचन्द्र टिक्यानी को दिनांक 20.03.2024 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 09.07.2024 को सुश्री शिवानी टिक्यानी पुत्री श्री रामचन्द्र टिक्यानी के पक्ष में नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। सुश्री शिवानी टिक्यानी पुत्री श्री रामचन्द्र टिक्यानी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती रेनू बालवानी पत्नि श्री किशोर बालवानी को दिनांक 05.07.2024 कर दिया गया जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 915 में क्रम संख्या 202403002107361 पृष्ठ संख्या 96 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3659 के पृष्ठ संख्या 186 से 196 पर दिनांक 05.07.2024 को चस्पा किया गया। श्रीमती रेनू बालवानी पत्नि श्री किशोर बालवानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती रेनू बालवानी पत्नि श्री किशोर बालवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

**कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0**
टैलीफोन नम्बर- 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com
क्रमांक- न.पा.बि./भूमि/2025/5156 आपत्ति सूचना दिनांकः 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराफेरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

| क्र.सं. | नाम आवेदक | क्षेत्र | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी चंद्रशेखर शर्मा | मारूती नगर बरल द्वितीय में ख.नं. 950, 951,953,954, 956 के भू.सं. 155 के उत्तर दिशा में स्थित खांचा भूमि। | 213.33 वर्गगज |

- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर**
क्रमांक : 1808 जाहिर आम सूचना दिनांक: 17-12-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/139,पंचशील अजमेर में श्री सुनील कुमार सांखला पुत्र श्री जीतमल सांखला को आवंटित कर दिनांक 24.07.1997 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया। श्री सुनील कुमार सांखला पुत्र श्री जीतमल सांखला द्वारा दिनांक 20.10.1997 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। श्री सुनील कुमार सांखला पुत्र श्री जीतमल सांखला ने मुख्त्यारनामा आम श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माधोलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया । श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माधोलाल ने आवास का बैचान श्री अनिल खानचंदानी पुत्र श्री गोविन्दराम खानचंदानी को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्री अनिल खानचंदानी पुत्र श्री गोविन्दराम खानचंदानी के पक्ष में दिनांक 28.11.2014 को परस्पर विक्रय पश्चात नाम दर्ज के आदेश जारी किये गये। श्री अनिल खानचंदानी की मृत्यु दिनांक 23.4.2021 को हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी श्रीमती माला खानचंदानी पत्नि स्व. श्री अनिल खानचंदानी, श्री विनय खानचंदानी एवं श्री पीयूष खानचंदानी पुत्र स्व. श्री अनिल खानचंदानी द्वारा मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। मण्डल द्वारा दिनांक 03.07.2024 को श्रीमती माला खानचंदानी, श्री विनय खानचंदानी एवं श्री पीयूष खानचंदानी के पक्ष में मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुनः श्रीमती माला खानचंदानी, श्री विनय खानचंदानी एवं श्री पीयूष खानचंदानी द्वारा आवास का बैचान श्री हरेश गमनानी पुत्र श्री जयकिशन गमनानी जरिये सगे भ्राता व मुख्त्यार आम श्री नरेश गमनानी पुत्र श्री जयकिशन को दिनांक 08.09.2025 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द 2308 में पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 202503001105808 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 6224 के पृष्ठ संख्या 212 से 222 पर दिनांक 08.09.2025 को चस्पा किया गया है। श्री हरेश गमनानी पुत्र श्री जयकिशन गमनानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री हरेश गमनानी पुत्र श्री जयकिशन गमनानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर**
क्रमांक : 1809 जाहिर आम सूचना दिनांकः 17-12-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ग-7, वैशाली नगर, अजमेर क्षेत्रफल 267.00 वर्ग गज मूल आवंटी श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी को आवंटित कर दिनांक 02.09.1974 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। मण्डल द्वारा श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी एवं श्रीमती इंदु सोगानी पत्नि श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी के पक्ष में संयुक्त नाम जोड़ने के आदेश दिनांक 26.12.1990 को जारी किये गये। श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी एवं श्रीमती इंदु सोगानी पत्नि श्री प्रफुल्ल चन्द सौगाती द्वारा दिनांक 27.12.1990 को उक्त आवास का उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी एवं श्रीमती इंदु सोगानी ने आवास का बैचान श्री राजकिशोर माथुर पुत्र स्व. श्री देवी दयाल माथुर श्रीमती सुधा माथुर पत्नि श्री राजकिशोर माथुर एवं श्री विकात माथुर (Minor) व श्री विराट माथुर (Minor) पुत्र श्री राजकिशोर माथुर को कर दिया गया। श्री राजकुमार माथुर की मृत्यु दिनांक 01.12.2011 की हो चुकी है। श्री विक्रांत माथुर व श्री विराट माथुर पुत्रगण स्वः श्री राजकिशोर माथुर ने मुख्त्यारनामा आम श्रीमती सुधा माथुर पत्नि स्व श्री राजकिशोर माथुर के पक्ष में निष्पादित किया गया है। श्रीमती सुधा माथुर पत्नि स्व. श्री राजकिशोर माथुर बहैसियत खुद व बहैसियत मुख्यार आम श्री विकांत माथुर व श्री विराट माथुर पुत्रगण स्व. श्री राजकिशोर माथुर ने आवास का बेचान श्री कमल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री नन्द किशोर जी माथुर एवं श्रीमती शिखा माथुर पत्नि श्री कमल किशोर माथुर को दिनांक 29.09.2017 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनाक 13.11.2024 को श्री कमल किशोर माथुर एवं श्रीमती शिखा माथुर के पक्ष में नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुनः श्री कमल किशोर माथुर एक श्रीमती शिखा माथुर द्वारा आवास का बेचान श्री मनीष माथुर एवं श्री हरीश माथुर पुत्रगण श्री बी.एन. माथुर को दिनांक 08.09.2025 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक सख्या 01 जिल्द संख्या 1000 में कम संख्या 202503002110382 पृष्ठ संख्या 185 पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4001 के पृष्ठ संख्या 102 से 117 पर 08.09.2025 को चस्पा किया गया। अब श्री मनीष माधुर एवं श्री हरीश माथुर पुत्रगण श्री बी.एन. माथुर ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री मनीष माथुर एवं श्री हरीश माधुर पुत्रगण श्री बी.एन. माथुर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद सिवाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी,राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

**अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशु सिंह भाटी पुत्र खंगार सिंह राजस्व ग्राम थोक मालियान के खसरा नंबर 8648 में अवस्थित भूखण्ड का क्षेत्रफल 240 वर्ग गज की लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन है। उक्त आवेदन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नियमानुसार लीजडीड की कार्यवाही कर दी जाएगी।
-(उपायुक्त दक्षिण) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

**कार्यालय नगर पालिका, केकड़ी (जिला-अजमेर)**
क्रमांक: न.पा.के./2025-26/3591 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक: 17-12-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि 'समस्या समाधान शिविर-2025' के तहत पालिका क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा भू उपयोग परिवर्तन (आवासीय से व्यावसायिक) चाहने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिसमें किसी भी व्यक्ति/सज्जन/पड़ौसी को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय में 3 दिवस में लिखित में मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसमें किसी का कोई उजर मान्य नहीं होगा-

| क्रं सं | आवेदक/पिता का नाम | आवेदित स्थल | नाप वर्गगज में | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कमला देवी पत्नी रतन लाल मोची निवासी केकड़ी | प्लाट नं. 34 का उत्तरी भाग, सीता कॉलोनी ख.नं. साबिक 2816, 2817,2828 हाल 4327, 4328, 4329 केकड़ी | 420.62 | प्लाट नं 25 26 व 43 | प्लाट नं. 34 का शेष भाग | प्लाट नं. 33 पर बना मकान | ढण्ड का रास्ता |
| 2 | श्री ओम प्रकाश तेली पुत्र पोखर लाल तेली निवासी केकड़ी | भूखण्ड सं. 52 पुष्प नगर कॉलोनी अजमेर रोड ख.नं. 284, 642 /284, 643/284, 644/284 केकड़ी | 307.57 | प्लाट नं. 53 | प्लाट नं. 51 | आम रास्ता | अग्रीकल्चर भूमि ख.नं. 285 |

-(केन्द्र प्रसाद शर्मा) अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका केकड़ी